भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 431
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: जैविक खेती को बढ़ावा देना

***431. श्री अनूप संजय धोत्रे:**
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादर एवं नगर हवेली सहित राज्यवार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों की वर्तमान स्थिति और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस पारंपरिक खेती को किफायती और लाभदायक बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए ऐसी पहलों हेतु निर्धारित/आबंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा देश में विशेषकर उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जैविक खेती की तकनीकों और फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में ऐसी कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं और इन कार्यशालाओं में महाराष्ट्र सहित कितने किसानों ने भाग लिया?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ड.): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'जैविक खेती को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को लोकसभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 431 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) एवं (ख): सरकार सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू की जा रही है। दोनों ही योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक संपूर्ण सहायता पर जोर देती हैं। पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं का मुख्य फोकस प्राकृतिक संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल स्थायी खेती प्रणालियों को बढ़ावा देना है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने और बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खेत पर पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और बाहरी इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने को सुनिश्चित करती हैं।

2015-16 से अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली सहित 59.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत शामिल हो चुका है। वर्ष 2023-2024 तक पीकेवीवाई के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) (एमओवीसीडीएनईआर सहित) + भागीदारी गारंटी प्रणाली (पीजीएस) के तहत जैविक खेती के अंतर्गत शामिल क्षेत्र का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

पीकेवीवाई को क्लस्टर मोड में लागू किया जा रहा है, प्रत्येक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर क्षेत्र वाले किसान समूह हैं। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, पीजीएस प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, मार्केटिंग और प्रचार जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं। इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के माध्यम से तीन वर्षों में 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, एफपीओ के निर्माण, जैविक इनपुट, गुणवत्ता वाले बीज/रोपण सामग्री और प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और प्रमाणन के लिए किसानों को सहायता देने के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, 3 वर्षों में 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए डीबीटी के रूप में दी जाती है और रोपण सामग्री के लिए 17,500 रुपये दिए जाते हैं।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुओं से पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों के उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता, हैंडहोल्डिंग सहायता और प्रशिक्षण के माध्यम से इनपुट की लागत कम हो जाती है और खेती किफायती और लाभदायक बन जाती है।

(ग): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में पीकेवीवाई योजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015-16 से 2024-25 तक (26.03.2025 तक) आवंटित, रिलीज और उपयोग किए गए फंड का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

राज्य	**आवंटन**	**रिलीज किया गया**	**उपयोग किया गया**
महाराष्ट्र	226.52	133.13	116.43
मध्य प्रदेश	456.15	146.64	125.11
दादर और नगर हवेली	75.50	10.00	0.00

(घ) और (ड.): पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर योजनाओं का कार्यान्वयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर रखा जाता है, न कि केंद्रीय स्तर पर।

महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है कि इसी अवधि में 1,54,162 किसानों को शामिल करते हुए 2786 प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

केन्द्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली सरकार ने जानकारी दी है कि इसी अवधि में 232 किसानों को शामिल करते हुए 7 कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि इसी अवधि में 100 किसानों को शामिल करते हुए 7 कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

लो.स.ता.प्र.सं. 431
अनुबंध-I

वर्ष 2023-2024 तक पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती एनपीओपी (एमओवीसीडीएनईआर सहित) + पीजीएस के तहत कवर किए गए कुल संचयी क्षेत्र का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनपीओपी	पीकेवीवाई के तहत पीजीएस
1	आंध्र प्रदेश	63,678.69	3,60,805
2	बिहार	29,062.13	31,561
3	छत्तीसगढ	15,144.13	1,01,279
4	गोवा	12,287.40	15334
5	गुजरात	6,80,819.99	10000
6	हरियाणा	2,925.33	-
7	हिमाचल प्रदेश	9,334.28	18748
8	झारखंड	54,408.20	25300
9	केरल	44,263.91	94480
10	कर्नाटक	71,085.99	20900
11	मध्य प्रदेश	11,48,236.07	74960
12	महाराष्ट्र	10,01,080.32	66756
13	ओडिशा	1,81,022.28	45800
14	पंजाब	11,089.41	6981
15	तमिलनाडु	42,758.27	32940
16	तेलंगाना	84,865.16	8100
17	राजस्थान	5,80,092.22	148500
18	उत्तर प्रदेश	66,391.34	171185
19	उत्तराखंड	1,01,820.39	140740
20	पश्चिम बंगाल	8,117.80	21400
21	असम	27,079.40	4400
22	अरुणाचल प्रदेश	16,537.53	380
23	मेघालय	29,703.30	900
24	मणिपुर	32,584.50	600
25	मिजोरम	14,238.30	780
26	नागालैंड	16,221.56	480
27	सिक्किम	75,729.78	63000
28	त्रिपुरा	20,481.36	1000
29	जम्मू एवं कश्मीर	34,746.75	5160
30	पांडिचेरी	21.51	-
31	दिल्ली	9.60	-
32	लद्दाख	-	10480
33	दमन और दीव	-	642
34	दादर एवं नगर हवेली	-	**500**
कुल		**44,75,836.90**	**14,98,583**
कुल योग (एनपीओपी + पीजीएस)		**59,74,419.90**	

स्रोत: एपेडा+ पीजीएस

*****